लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1133

28 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम क्षेत्र का कल्याण

1133. श्री एस. मुनिस्वामीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में रेशम क्षेत्रक के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना/पैकेज देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए किसी क्षेत्र की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन जिलों की पहचान की गयी है और उसके क्या मापदंड हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): जी, हां।

कोलार जिले में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन के विकास के लिए लगभग 3500 किसानों को शामिल करते हुए एक अनन्य कलस्टर विकास परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से कर्नाटक राज्य सहित देश में रेशम उद्योग के विकास के लिए एक 'एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना (आईएसडीएसआई)', एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) अर्थात 'सिल्क समग्र' क्रियान्वित की है।

इस योजना के अंतर्गत किसान नर्सरी को बढ़ाने, उन्नत मलबरी की किस्मों के साथ पौधरोपण, सिंचाई, उद्भवन सुविधा के साथ चॉकी रियरिंग केंद्र, रियरिंग हाउसों के निर्माण, रियरिंग उपकरण, विसंक्रमण के लिए डोर-टू-डोर सेवा एजेंट और इनपुट की आपूर्ति, स्वचालित रीलिंग इकाइयों, मल्टी एंड रीलिंग मशीनों, उन्नत ट्विस्टिंग मशीनों जैसी उन्नत रीलिंग इकाइयों के लिए सहायता और अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम और फैब्रिक के उत्पादन के लिए यार्न पश्च सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए रेशम उत्पादन किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

****